अपील सूचना अधिकार संख्यां 15/2020 (GCMS 2019/00015) साहब राम विद्यार्थी, आर.टी.आई. कार्यकर्त्ता, वार्ड नं. 19, सादुलशहर बनाम अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

11.01.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी साहबराम स्वयं उपस्थित नहीं है। **पत्रावली का अवलोकन किया** तो पाया कि अपीलार्थी ने दिनांक 08.11.2019 को अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को आवेदन प्रस्तुत करके सूचना चाही थी, जो उनके द्वारा अपने पत्रांक आरटीआई/86/2020/187–188 दिनांक 18.02.2020 से प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर एवं प्रभारी अधिकारी, जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति, श्रीगंगानगर को स्थानान्तरित कर दिया, किन्तु प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर एवं प्रभारी अधिकारी, जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को निर्धारित समय सीमा में कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई। इसलिए अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी साहब ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 08.11.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी :

> ग्राम पंचायत करड़वाली की चक 10 के आर डब्ल्यू की 14 बीघा नहरी कृषि भूमि को नियम विरूद्ध अकृषि में कुटरचित व फर्जी दस्तावेज तैयार करके सपरिवर्तन आवासीय कॉलोनी में भूपरिवर्तन किया गया है। उस भूपरि[illegible] निरस्त करवाने के लिए मै पिछले 8 वर्षों [illegible] सरकार [illegible]गरपालिका का भूमि अधिनियम 1974 के नियम 2007, 2011 व [illegible] में पेश कर रहा हूँ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 13:03:16 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय ने 2 बार जन सुनवाई में सभी दस्तावेजों की जांच कर संतुष्ट होकर नियम विरूद्ध किया गया भू परिवर्तन को निरस्त करने की बात मौखिक का चुके है। मैं इस प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों की जांच, संभागीय आयुक्त महोदय की जांच, उपखण्ड अधिकारी की जांच, मुख्य लेख अधिकारी की एफ.आई.आर. के आदेश व तहसीलदार की जांच यह सभी जांच जन सुनवाई में पेश कर चुका हूँ और सभी जांचों में नगरपालिका व उपखण्ड अधिकारी नरेन्द्र पुरोहित को दोषी माना है।

अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि उपर लिखे गये सभी दस्तावेजों को जिनको मैने पेश किया है। इस सभी दस्तावेजों का आपने निरीक्षण करके जांच की है। आप द्वारा जांच की सत्यापित प्रमाणित फोटो कॉपी भेजने की कृपा करें।

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में प्रभारी अधिकारी सतर्कता प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 4885 दिनांक 25.02.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 11.11.2019 प्राप्त दिनांक 18.02.2020 के संदर्भ में चाही गई इस कार्यालय की सतर्कता शखा से सम्बन्धित सूचना छह पृष्ठ इस पत्र के संलग्न प्रेषित है। इसके अतिरिक्त अन्य सूचना की आवश्यकता है तो किसी भी कार्यालय दिवस में उपस्थित होकर पत्रावली का अवलोकन कर सूचना प्राप्त कर सकते है।

संलग्न : उक्तानुसार।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 13:03:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में प्रभारी अधिकारी सतर्कता प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 4917 दिनांक 27.02.2020 से अपील का निम्नानुसार जवाब दिया है और प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की है :

> प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 08.11.2019 जो नोडल अधिकारी सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ से पत्रांक 188 दिनांक 18.02.2020 से दिनांक 18.02.2020 को इस शाखा में प्राप्त होने पर प्रार्थी को इस शाखा से सम्बन्धित सूचना निःशुल्क छः पेज इस कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्र के साथ पत्रांक 4885 दिनांक 21.02.2020 से प्रेषित की जा चुकी है।
>
> अतः जवाब अपील सादर प्रस्तुत है।
>
> -sd-
> प्रभारी अधिकारी सतर्कता प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट
> श्रीगंगानगर

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ 41(5)( )राजस्व/2020/2965 दिनांक 14.10.2020 से अपील का निम्नानुसार जवाब दिया है और प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत श्री साहबराम विद्यार्थी आर.टी.आई. कार्यकर्त्ता वार्ड नं. 19, सादुलशहर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहे जाने पर, वांछित सूचना सचिव, जिला जन अभाव अभियोग एवं निराकरण सतर्कता समिति, श्रीगंगानगर से संबंधित होने के कारण आवेदन पत्र की [illegible] इस कार्यालय के पत्रांक 781 दिनांक 03.03.2020 [illegible] याप्रति [illegible] द्वारा उनको भिजवाई जाकर वांछित सूचना नि[illegible] नियमानुसार प्रार्थी को उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया था तथा इसकी प्रति क्रमांक 782–83 दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 13:03:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

03.03.2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रार्थी को भी सूचित किया गया था कि वह वांछित सूचना संबंधित से प्राप्त करें। सचिव, जिला जन अभाव अभियोग एवं निराकरण सतर्कता समिति, श्रीगंगानगर द्वारा पत्रांक 4885 दिनांक 19/21.02.2020 (छायाप्रति संलग्न) से प्रार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

-sd-
लोक सूचना अधिकारी
एवं अति. जिला कलक्टर
(प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा)
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा) कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर एवं प्रभारी अधिकारी सतर्कता प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा आवेदक को चाही गई सूचनाए उपलब्ध करवाई जा चुकी है और अपीलार्थी निश्चित अभिलेख से कोई सूचना चाहे तो रिकॉर्ड का अवलोकन कर प्राप्त कर सकता है, इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा) कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर एवं प्रभारी अधिकारी सतर्कता प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 13:03:16 IST
Reason: SelfAttested

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर